



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग (पिथौरागढ़)



फोन नं० — 05964-244117

फैक्स नं० — 05964-244622

ई-मेल—eepwdberinag@rediffmail.com

दिनांक 27/03/2025

पत्रांक 507 / 27 सी
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़,
वन प्रभाग पिथौरागढ़

विषय : जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 किमी० के निर्माण हेतु 1.89 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में। (Online proposal No. FP/UK/ROAD/43777/2020)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक 8वीं/यू०सी०पी०/०६/०९/२०१९/एफ०सी०/१०५६ दि० २३-१२-२०२४

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आपत्तियों का बिन्दुवार निम्नानुसार निराकरण कर दिया गया है।

क्र. सं०	मॉगी गई सूचना	उत्तर
1	As per this office EDS dated 21-11-2024, there was some violation of FCA, 1980. In this regard, the state government of Uttarakhand submitted that the governor, Uttarakhand was withdrawal the notification No. 869F/638 dated 17-10-1893 under Indian forest act 1878 as per state notification dated 28-09-2011 and hence was some construction activity has been done by user agency. In this regard, this office has already issued letter dated 08-01-2024 that such de-reservation is a violation of van (sanrakshan & sarvardhan) adhiniyam 1980. Comments from state government is required to be submitted.	बिन्दु सं० १ के अनुपालन में पूर्ण आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 664/27 सी दि० 25-04-2024 को मय संलग्नकों सहित आपके कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई है। (प्रति संलग्न)
2	As per DSS Analysis, the proposed diversion area comes to 0.50 hectare instead of 1.89 hectare.	प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.89 है० वनभूमि हस्तान्तरण की आवश्यकता है, जिस हेतु 1.89 है० वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ऑन लाईन अपलोड किया गया है। कृपया 1.89 है० वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।
3	Alternative alignment of road is not submitted. State government is requested to submit the details of alternate alignment.	सड़क के वैकल्पिक समरेखन का विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
4	It is found that CA scheme is for only 3 years has been submitted. It shall be revised by DFO as per current rules and upload at designated place.	वर्तमान नियमों के अनुसार सी०ए० की संशोधित स्कीम अपने स्तर से अपलोड करने की कृपा करें।
5	A proper SIR of DFO in revised formant is required to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी की निरीक्षण आख्या संशोधित प्रारूप में अपने स्तर से अपलोड करने की कृपा करें।

अतः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग
27/03/25

Name Of Project Ritha Retoli To Muwani Motor Road

Performa for comparison between identified alignments

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	Topography	Hilly	Hilly
2	Length of Road	5.00km	5.00km
3	Bridging requirement No. and Length	nil	Nil
4	Geometric	-	-
	(a) Gradients	1:22F,1:24F	1:22F,1:24F
	(b) Curves, H.P Bends	1 no	3NO
5	Existing Means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.	Bridle Path multi track	Bridle Path multi track
6	Right of way, bringing out, construction on account of built up areas, monuments and other structures.	nil	Nil
7	(a) Terrain & Soil Condition.	5.00km	5.00km
	(vi) Cliffs and gorges.(vii) Drainage characteristics of the area including supceptibility to flooding .(viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and discends.(ix) Variations extants and types.	Nil Good 1200-1500mts	Nil Good 1200-1500mts
8.	Climate Condition:(a) Temperature Monthly max. & min. reading.(b) Rainfall data average annual peak intensitiesmonthly distribution (to the extent available) .(c) Snowfall data	(a)Max40,min10 (b)june-september (c)No snow area North-east Minor damage&mayoccur during rainy season	(a)Max40,min10 (b)june-september (c)No snow area North-east Minor damage&mayoccur during rainy season

	average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .(d) Wind direction and velocities.(e) Fog Condition.(f) Exposure to sun.(g) Unusual weather condition like cloud burst etc.		
9.	Facilities resources. (a) Landing ground. (b) Dropping Zone. (c) Food stuffs. (d) Labour local availability and need for import. (e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc. extent of their availability and lead involved.	(a)Nill (b)Nill (c)Local food grain available as par (d)Locals&Napalis (e)stone local available sand& grit from haldwani	(a)Nill (b)Nill (c)Local food grain available as par (d)Locals&Napalis (e)stone local available sand& grit from haldwani
10.	Value of land, agricultural land, Irrigated land, built up land, forest land etc,	Agricultural-39.15 Lac Forest land-28.35 Lac	Agricultural-39.15Lac Forest land-28.15 Lac
11.	Approximate Const. Cost.	65.88Lac	65.88Lac
12.	Access point indicating possibility of induction of equipment.	Pithoragarh-70km	Pithoragarh-70km
13.	Period required for construction.	1 year	1 year
14.	Strategic Consideration.	nill	nill
15.	Important villages, towns and markets centers to be connected.	Retoli,Gurna,Mayal	Retoli,Gurna,Mayal
16.	Recreational potential.	May development by this alignment	May development by this alignment
17.	Economic Factors: (a) Population served by the alignment. (b) Agricultures and	Agricultures and other local product Total population-600	Agricultures and other local product Total population-600

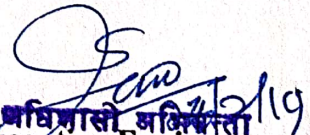
	economic potential of the area.	S.C population-200	S.C population-200
18.	other major development projects being taken up electric projects etc.	Nill	nill
19.	(i) Misc. Such as camping sites (ii) Law and other problem (iii) Royalty	nill	nill
	(iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material (v) working period available for construction of work.	Available 12-months	Available 12-months
20.	Total No. of trees to be removed .	26	220
21.	Average Density of forest cover .		
22.	(a) Merits (b) Demerits	1. All Villagers are agree with this alignment 1. More nap land will be effected	1. mostly villagers are not agree with this alignment More trees will be effected
23.	Total No. of Demerits	-	-

RECOMMENDATIONS:

Alignment no. (1) Recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.


Junior Engineer/J.E.
P.W.D. Berinag


Assistant Engineer
P.W.D. Berinag
(पिथौरागढ़)


Executive Engineer
P.W.D. Berinag
(पिथौरागढ़)

Note - Signature and approval of the concerned DFO is essential.



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 1803 / 12-1 : देहरादून दिनांक: 04 जनवरी, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी० के निर्माण हेतु 1.89 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी०/यू०सी०पी०/०६/०९/२०१९/एफ०सी०/१०५६, दिनांक २३-१२-२०२४। (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है, जिसका प्रस्तावक विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से निराकरण किया जाना अपेक्षित है। अतः भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि पत्र में उल्लिखित ०५ बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन आख्या शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

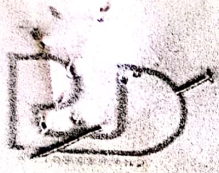
संख्या-1803 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग, पिथौरागढ़ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित ०५ बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या सम्वन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग (पिथौरागढ़)



फोन नं० - 05964-244117

फैक्स नं० - 05964-244622

ई-मेल - eepwdberinag@rediffmail.com

पत्र सं० 664 / 27.01

दिनांक 25/04/2024

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़।

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 किमी० के निर्माण हेतु 1.89 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

भारत सरकार का पत्रांक 8वीं/यू०सी०पी०/०६/०९/२०२१/एफ०सी०/१०८४ दि० २१-११-२०२३

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ई०डी०एस० के अनुपालन में प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नवत् प्रेषित है :-

क्र. सं०	माँगी गई सूचना	उत्तर
1	इस कार्यालय के पत्र दि० 22.03.2021 का जवाब तय सीमा में नहीं दिया गया। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि गाईड लाईन के पैरा 1.20 के अनुसार प्रस्ताव के Nature and scope पर आवश्यक Comments प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रश्नगत मोटर मार्ग ग्राम रैतोली से प्रारम्भ होता है। मोटर मार्ग मायल गाँव के अन्तिम छोर में 5.00 किमी० लम्बाई में समाप्त होता है। मोटर मार्ग में ग्राम रैतोली, गुरना एवं मायल की 600 की आबादी लाभान्वित होगी। वर्तमान में ग्रामवासी लगभग 1.00 किमी० चढ़ाई के पश्चात् मोटर मार्ग तक पहुँचते हैं। उक्त मोटर मार्ग निर्माण से क्षेत्र की जनता तहसील मुख्यालय एवं विकास खण्ड मुख्यालय बेरीनाग से जुड़ जायेगी। ग्रामीणों को स्कूल, बैंक, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो पायेगी। स्थानीय उत्पाद हेतु बाजार उपलब्ध हो पायेगा। उक्त मार्ग निर्माण से भविष्य में बेरीनाग तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय से जिला पिथौरागढ़ की दूरी लगभग 20 से 22 किमी० कम हो जायेगी। अतः मार्ग निर्माण जनहित में मार्ग है।
2	यद्यपि राज्य सरकार द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार कुछ भाग पर मार्ग निर्माण किया गया है किन्तु आदेश में उल्लिखित भू-भाग के Status 9 (3) ड से ये दर्शित होता है कि मार्ग निर्माण से पूर्व FCA 1980 के अन्तर्गत मंजूरी ली जानी चाहिए थी। जो नहीं दी गई अतः ये FCA 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार प्रभागीय वनाधिकारी से 3A & 3B में आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करने का कष्ट करें।	उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग -3, देहरादून के पत्र सं० 866/ X-3 -2011/8 (21)/2010 दि० 28-09-2011 द्वारा अधिसूचना जारी गई थी कि राज्यपाल महोदय द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1878 की धारा -28 के अधीन जारी अधिसूचना सं० 869 एफ/638 दि० 17-10-1893 को विखण्डित कर दिया गया है (प्रति संलग्न, संलग्नक -1) इसी क्रम में प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण, अनुभाग -3, देहरादून के पत्रांक 883(1)/ X-3 -2011 दि० 04 अक्टूबर 2011 के क्लाज -4 के उपक्लाज 1 एवं -2 में यह स्पष्ट किया गया है कि - क्लाज -4 (1) अधिसूचना सं० 869 एफ/638 दि० 17-10-1893 जिसके अन्तर्गत तत्समय गढ़वाल, अल्मोड़ा व नैनीताल जिले के नैनीताल सब-डिवीजन के गाँवों की ऐसी बेनाप वन तथा बंजर भूमि जो आरक्षित वन में सम्मिलित नहीं थी, को रक्षित वन घोषित किया गया था को अधिसूचना सं० 866/ X-3 -2011/8 (21)/2010 दि० 28-09-2011 द्वारा विखण्डित किये जाने के उपरान्त अब प्रभावी नहीं है।

माँगी गई सूचना	उत्तर
	क्लाज -4 (2) अधिसूचना सं0 869 एफ/638 दि0 17-10-1893 के विखण्डित होने पर उक्त से आच्छादित भूमि अब 'रक्षित वन' नहीं है और 'रक्षित वन' से सम्बन्धित भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधान भूमि पर लागू न होंगे (प्रति संलग्न, संलग्नक -2) उक्तानुसार तत्समय प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अपने आदेश सं0 395 /7-8/2017 -18 दि0 29-11-2017 द्वारा इस विभाग को बंजर काबिल आबाद श्रेणी 9(3) इ की 0.92 है0 भूमि का हस्तान्तरण, प्रश्नगत मोटर मार्ग के प्रारम्भ में कुछ भाग के निर्माण हेतु किया गया था (आदेश की प्रति संलग्न, संलग्नक -3) भूमि के हस्तान्तरण से पूर्व वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा भी संयुक्त निरीक्षण किया गया था, जिसमें उक्त भूमि से गुजरने वाले संरेखण का वृक्ष विहीन होने की रिपोर्ट प्रदत्त है (प्रमाण पत्र तथा रिपोर्ट की प्रति संलग्न, संलग्नक -4) उक्तानुसार वृहद जनहित में तत्समय प्रचलित नियमों के अनुरूप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा कुछ भाग पर मार्ग निर्माण किये जाने हेतु राज्य सरकार की वृक्ष विहीन भूमि, श्रेणी 9 (3) इ बंजर काबिल आबाद को इस विभाग को हस्तान्तरित किया गया था। अतः जो भी कार्य तत्समय सम्पादित किया गया है। वह विधिवत् तथा नियमानुसार है।
3 ग्राम मायल पूर्व में ही दूसरी ओर से पुल से जुड़ा हुआ है। अतः मायल तक मार्ग के ले जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। राज्य सरकार इस सन्दर्भ में औचित्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	ग्राम मायल अभी तक मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। उत्तराखण्ड सरकार की सड़क नीति के अनुसार ऐसे ग्राम जो मोटर मार्ग से 100 मी0 की उर्ध्वाधर दूरी पर हों, ही जुड़े हुये माने जायेंगे (प्रति संलग्न, संलग्नक -5) ग्राम मायल वर्तमान में निर्मित मोटर मार्ग से 200 मी0 से अधिक उर्ध्वाधर दूरी पर है तथा रामगंगा नदी पर जो सेतु दिखाई दे रहा है वह पैदल सेतु है। इसलिए ग्राम मायल को जोड़ा जाना औचित्यपूर्ण है।
4 Existing मार्ग को ग्राम गुरना तक बढ़ा कर मानचित्र के बिन्दु सं0 9 तक ही सीमित कर regularization के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्य सरकार इस सन्दर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	मार्ग को ग्राम गुरना तक ले जाना हिल रोड मैनुअल IRC:48, IRC:52, IRC:SP-20, की ज्योमेट्रिक तथा तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है (प्रति संलग्न, संलग्नक -6) मार्ग को बिन्दु सं0 9 तक सीमित करने में मार्ग का Grade अधिक हो जायेगा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत तथा Codal provision के अनुसार यह उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए मार्ग की लम्बाई को ग्राम गुरना तक बढ़ाया गया है।

अतः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय



24.4.24

अधिसासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 बेरीनगर